सत्यमेव जयते

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

मासिक समाचार पत्र

अंक - 47 अप्रैल, 2015

सम्पादकीय

'मूडी' जैसी वैश्विक रेटिंग एजेंसियों ने भारत के लिए अपनी रेटिंग आउटलुक को निकट भविष्य में और उन्नति के संकेत के साथ 'स्थिर' से 'सकारात्मक' किया है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय, बाहरी शेष की जांच करना, नियामक व्यवस्था को आसान बनाना, बुनियादी ढांचे में निवेश की सुविधा देना, ऐसे कारकों में से कुछ हैं जिनका इस उन्नत रेटिंग के लिए काफी योगदान रहा है।

घरेलू खाद्य की कीमत में गिरावट के साथ अंतर्राष्ट्रीय माल की कीमत में लगातार कमी ने मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशा रुकी है। मंहगाई दर, जो मार्च, 2015 माह के लिए (-) 2.3% मापी गई थी, पिछले पांच महिनों से लगातार नकारात्मक रही है जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचनांक (सीपीआई) सामान्य मूल्य स्तर में बहुप्रत्यक्षित स्थायित्व लाते हुए तीन माह की 5.17% कमी आई। भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले ही जनवरी और मार्च, 2015 महिनों में दो अनुक्रमिक दर कटौती नीति के साथ आर्थिक सहजता की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।

फरवरी, 2015 माह में औद्योगिक आउटपुट पिछले माह की 2.8% वृद्धि की तुलना में 5% की दर से बढ़ा है। जबकि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) वर्ष के दौरान फरवरी, 2015 तक 2.8% की एक अनुमानित वृद्धि दर के साथ पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अस्थिर रहा, अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण क्षमता निर्माण को दर्शाते हुए माल तथा बिजली के उत्पादन में क्रमशः 6.4% और 9.1% वृद्धि हुई है।

भारत सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसएमई) क्षेत्र को उत्पादन क्षमता दिलाने के लिए नीति सुधार की एक श्रृंखला प्रारंभ की है। सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई), जो अन्य के बीच विनिर्माण, व्यापार और सेवा गतिविधियों में संलग्न सूक्ष्म/लघु संस्थाओं को उधार देती हैं, के विनियमन और पुनर्वित के लिए 20,000 करोड़ रूपए के आबंटन के साथ सूक्ष्म इकाई विकास और एजेंसी (मुद्रा) प्रारंभ की गई है। इसके अतिरिक्त, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए, पूर्व में पुनर्वित्त एमएसएमई के लिए आरक्षित सभी वस्तुएं अनारक्षित कर दी गई हैं।

1 अप्रैल, 2015 को घोषित नई विदेशी व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 प्रधानमंत्री के 'मेक इन इंडिया' परिकल्पना के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने और रोजगार के अवसर बनाने के लिए एक ढांचा प्रदान करती है। यह नीति केवल दो योजनाओं अर्थात् विशिष्ट बाजारों के लिए विशिष्ट वस्तुओं के निर्यात के लिए "मर्केन्डाइस एक्सपोर्ट्स फ्रोम इंडिया स्कीम (एमईआईएस)" और "सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्रोम इंडिया स्कीम (एसईआईएस)" बहुतायत योजनाओं को कम करके निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं का पुनर्निर्माण करती है।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय भारत में कारपोरेट क्षेत्र के नियमन को सरल बनाने के लिए उद्योगपतियों व्यवसायिक संस्थाओं और अन्य शेयरधारकों के साथ बातचीत कर रहा है। इस प्रक्रिया में, मंत्रालय ने वार्षिक आम सभाओं के दौरान ई-वोटिंग में प्रक्रियात्मक एकरूपता सुव्यवस्थित और लागू की है। छः प्रावधानों, जिन पर एक औपचारिक बैठक में निदेशक बोर्ड द्वारा संकल्प पारित किया जाता है और जो अब अपेक्षित नहीं है, को हटाते हुए किसी कंपनी के आवश्यक फाइलिंग को कम करने के लिए नियमों में भी संशोधन किया गया है।

"कारपोरेट कार्य मंत्रालय भारत में कारपोरेट क्षेत्र के नियमन को सरल बनाने के लिए उद्योगपतियों व्यवसायिक संस्थाओं और अन्य शेयरधारकों के साथ बातचीत कर रहा है।"

वरिष्ठ स्तर पर नियुक्तियाः

1. दिनांक 20.03.2015 से श्री प्रीतम सिंह ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अपर सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। श्री प्रीतम सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा, राजस्थान कैंडर के 1984 बैच से है।

2. दिनांक 15.04.2015 से श्री के.वेंकट रमण मूर्ति ने कारपोरट कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। श्री मूर्ति, भारतीय रक्षा लेखा सेवा के 1991 बैच से है।

3. दिनांक 27.03.2015 से श्री मधुसूदन साहू को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

सीएसआर पर एचएलसी की द्वितीय बैठकः- दिनांक 23.03.2015 को नई दिल्ली में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीतियों के कार्यान्वयन की बेहतर निगरानी के लिए उपाय प्रस्तावित करने हेतु गठित, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) की उच्च स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक आयोजित की गई। समिति की ओर से आमंत्रण प्राप्त होने पर चार उद्योग मंडल यथा; द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), द एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम), द कान्फ्रडेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) और स्टैडिंग कांफ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राईजेस (स्कोप) और साथ ही भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) ने कंपनी द्वारा की गई सीएसआर गतिविधियों की निगरानी पर अपने विचार प्रस्तुत किये।

सामान्य बैठकों में इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के माध्यम से मतदानः- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसार सामान्य बैठकों में प्रस्तावित संकल्प पर मतदान के लिए निर्धारित कंपनियां अपने सदस्यों को इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए बाध्य है। इलेक्ट्रोनिक मतदान की पद्धति को और स्पष्ट और आसान बनाने के उद्देश्य से कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने इस मामले की देखरेख के लिए एक समिति की नियुक्ति की है। समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 में संशोधन किए है। दिनांक 19.03.2015 को अधिसूचित नया नियम 20, बैठक के आयोजन स्थल में मतदान करने के सदंर्भ में आने वाली बाधाओं को संबोधित करता है और बैठक में भाग न ले पाने वाले सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रोनिक मतदान के आयोजन को सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त, यह ई-मतदान की पद्धति को सरल एवं कारगर बनाता है और इक्वीटी शेयर के अलावा अन्य प्रतिभूतियों को सूचित करने वाली कंपनियों को छूट देता है। इस संशोधित नियम से मतदान में सदस्यों की व्यापक भागीदारी होगी।

निदेशक मंडल के कार्यों का सरलीकरणः- कंपनियों के निदेशक मंडल द्वारा कंपनी के प्रशासन संबंधी मामलों पर संकल्प पारित करना आवश्यक है। उदारहर्णाथ (i) प्रतिभूतियों का प्रचालन व पुनःक्रय (ii) कंपनी की निधियों का निवेश करना या ऋण लेना। (iii) वित्तीय विवरण का अनुमोदन (iv) समामेलन, विलयन अथवा पुनः निर्माण का अनुमोदन (v) मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों (केएमपी) की नियुक्ति/बर्खास्तगी आदि। कंपनियों पर फाइलिंग बोझ को कम करने और कंपनियों के प्रशासन में शीघ्र निर्णय लेने की सुविधा के लिए भारत सरकार ने **दिनांक 18.03.2015** की अधिसूचना के माध्यम से उन 6 मदों को हटाया है, जिन पर निदेशक मंडल द्वारा बैठक में संकलप पारित करना आवश्यक था। निम्नलिखित हटाई गई मदों की सूची पर निदेशक मंडल द्वारा बैठक में संकल्प पारित करना आवश्यक नहीं है। (i) मुख्य प्रबंधीय कर्मियों के एक स्तर नीचे के कर्मचारियों की नियुक्ति/बर्खास्तगी (ii)निदेशकों की शेयरधारिता की सार्वजनिकता पर नज़र रखना (iii)कंपनी के निवेशों की खरीद एवं बिक्री (iv) पब्लिक डिपोज़िट का आमंत्रण (v) पब्लिक डिपोजिट के नियम एवं शर्तों की समीक्षा और (vi) त्रैमासिक, अर्ध वार्षिक और वार्षिक वित्तीय विवरणों का अनुमोदन।

कर्मचारियों को दिए जाने वाले ऋणों एवं अग्रिमों पर स्पष्टीकरणः- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186, कंपनियों पर किसी भी व्यक्ति को एक न्यूनतम सीमा से अधिक ऋण द्ने पर प्रतिबंध लगाता है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 10.03.2015 के **सामान्य परिपत्र संख्या 04/2015** के माध्यम से यह स्पष्ट किया है। कि प्रबंध निदेशक और पूर्ण समय निदेशकों को छोड़ कर अन्य सभी कर्मचारियों को दिए गए ऋण और/ या अग्रिम को धारा 186 की आवश्यकताओं द्वारा नियंत्रित नहीं किया गया है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारियों को दिए जाने वाले ऐसे ऋणों/अग्रिमों को कर्मचारियों पर लागू होने वाली सेवा के शर्तों और पारिश्रमिक नीति के अनुसार होना चाहिए।

निजी कंपनियों द्वारा प्राप्त की गई राशि पर स्पष्टीकरण- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 और कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के अनुसार निजी कंपनियों को जनता से जमा उगाहने की अनुमति नहीं है, किंतु, अधिनियम और नियमों में विहित अनुसार सदस्यों से जमा स्वीकार कर सकती हैं। चूंकि निजी कंपनियों द्वारा सदस्यों, निदेशकों या उनके संबंधियों से प्राप्त की गई राशि को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क के तहत जमा नहीं माना जाता था

अत:, हितधारकों ने यह स्पष्टीकरण मांगा था कि निजी कंपनियों द्वारा उनके सदस्यों, निदेशकों या उनके संबंधियों से 1.4.2014 के पूर्व प्राप्त राशियां कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन जमा मानी गई थी या नहीं। मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि निजी कंपनियों द्वारा 1.4.2014 से पूर्व प्राप्त की गई राशि को इस शर्त के अधीन कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (जमा स्वीकार करना) नियम, 2014 के अधीन 'जमा' नहीं माना जाएगा, कि संबंधित निजी कंपनी इसे अपने वित्तीय विवरण के नोट में सार्वजनिक करे। तथापि, नए अधिनियम के प्रावधान 01.04.2014 के पश्चात आमंत्रित नए जमा के पुनर्नवीकरण/स्वीकृति पर लागू होंगे।

डीएससी निष्क्रियकरण मानक को हटाया जाना - वर्तमान में डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डीएससी) किसी निदेशक द्वारा कोई कंपनी छोड़ने पर ई-प्ररूप डीआईआर-11 जमा करने पर निष्क्रिय किया जाता है। किंतु, किसी कंपनी के सभी निदेशकों द्वारा एक साथ त्यागपत्र देने के मामले में, नए निदेशकों की नियुक्ति से पूर्व कंपनी प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता निदेशक के नहीं रहते हुए कोई फाइलिंग नहीं कर सकती है। इस कठिनाई का समाधान करने के लिए मंत्रालय ने **सामान्य परिपत्र संख्या 03/2015 दिनांक 3.3.2015** द्वारा पदत्याग करने वाले निदेशकों में से एक निदेशक को डीएससी प्राधिकृत किया ताकि वह नए निदेशकों की नियुक्ति के लिए दायर किए जाने हेतु अपेक्षित डीआईआर-12 दायर कर सके।

कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम में संशोधन - (i) शेयरों/डिबेंचरों के आवंटन के लिए लंबित आवेदन राशि को नियमित करने हेतु 60 दिनों का प्रावधान करने; (ii) प्रत्येक कंपनी द्वारा जमा स्वीकार करने के लिए वर्ष में कम-से-कम एक बार क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करना अनिवार्य करने और ई-प्ररूप डीपीटी-3 में जमा के विवरणी के साथ रेटिंग की प्रति कंपनी रजिस्ट्रार के पास दायर करना अनिवार्य करने लिए; (iii) जमा बीमा प्रावधान का अनुपालन करने के लिए समय-सीमा 31.3.2016 या बीमा उत्पादों की उपलब्धता, जो भी पहले हो, तक बढ़ाने के लिए कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 में संशोधन किया गया है।

कंपनी (शेयरपूंजी और डिबेंचर) नियम में संशोधन - कंपनी (शेयरपूंजी और डिबेंचर) नियम में निम्नलिखित परिवर्तन शामिल करने के लिए 2014 में 18.3.2015 की अधिसूचना द्वारा संशोधन किया गया है (i) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा एक वर्ग के रूप में सचल आस्तियों पर प्रभाव सृजन की अनुमति दी गई; (ii) केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत डिबेंचर जारी करने वाली सरकारी कंपनी के लिए प्रभार सृजन की अपेक्षा लागू नहीं होगी; (iii) वाणिज्यिक दस्तावेज या विदेशी मुद्रा बॉन्ड के मामले में प्रभार सृजन से छूट दी गई; (iv) अनुलिपि शेयर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुमत अवधि पंद्रह दिन से बढ़ाकर पैतालीस दिन की गई, आदि।

शक्तियों का प्रत्यायोजन - भारत सरकार ने किसी कंपनी द्वारा रखे गए दस्तावेजों की तत्काल जांच का निदेश देने की शक्ति मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, नोएडा, अहमदाबाद, हैदराबाद और शिलांग स्थित प्रादेशिक निदेशकों को प्रत्यायोजित किया है।

नियुक्ति और अधिनिर्णयन अधिकारी - भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रयोजनार्थ कंपनी रजिस्ट्रारों को अधिनिर्णयन अधिकारी नियुक्त किया है।

निवेशक सुरक्षा और जागरूकता :

क. तीन व्यावसायिक संस्थानों (अर्थात् भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान और भारतीय लागत लेखाकार संस्थान) के साथ मिलकर देश के विभिन्न शहरों/नगरों में मार्च, 2015 में 221 निवेशक जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए गए।

ख. मार्च, 2015 के अंत तक, 3535 कंपनियों ने निवेशकों के असंदत्त और अदावाकृत राशियों से संबंधित सूचना iepf.gov.in वेबसाइट पर अपलोड की थी। सूचना के अनुसार 4311.12 करोड़ रुपए की राशि इन कंपनियों के पास अदावाकृत रखी हुई थी। मंत्रालय द्वारा इस वेबसाइट की स्थापना कंपनियों द्वारा पिछले सात वर्षों के दौरान निवेशकों की असंदत्त और अदावाकृत राशियों, जिन्हें निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि में अंतरित किया जाना है, के ब्यौरे फाइल करने के लिए की गई है, ताकि निवेशक कंपनी से उक्त राशि का दावा कर सकें।

कारपोरेट क्षेत्र की समीक्षा :

क. 31.03.2015 तक कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों की संख्या 14,59,278 थी। इनमें से 2,68,142 कंपनियों बंद हो गई, 5,301 कंपनियां समापनाधीन हैं और 24,033 कंपनियां रजिस्टर से हटाए जाने की प्रक्रिया में है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के अनुसार अब तक 214 कंपनियों को ''निष्क्रिय'' दर्जा दिया गया है। इसके अलावा 1,39,373 कंपनियों ने पिछले लगातार तीन वर्षों या अधिक समय से अपने वार्षिक रिटर्न/वैलेंश शीट दाखिल नही की है और इसलिए इन्हें कार्यरत नहीं माना जा सकता। पिछले 18 महीने में 1,12,126 कंपनियों सहित 10,22,011 कार्यरत कंपनियां थीं (जिनसे वार्षिक सांविधिक फाइलिंग अपेक्षित नहीं है)।

ख. कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत मार्च, 2015 के दौरान 1268.71 करोड़ रुपए की प्राधिकृत पूंजी के साथ 279 एक व्यक्ति कंपनियों सहित कुल 7031 कंपनियां पंजीकृत की गई। नई निगमित कंपनियों का स्वरूप के अनुसार ब्यौरा इस प्रकार है -

कंपनी का प्रकार	मार्च, 2015 में पंजीकृत कंपनियों की संख्या	कुल प्राधिकृत पूंजी (करोड़ रुपए में)
(1)	(2)	(3)
शेयरों द्वारा सीमित कंपनी	**7,001**	**1,269**
जिसमें से		
(क) प्राइवेट	6,695	1,181.83
जिसमें से		
एक व्यक्ति कंपनियां	279	6.22
(ख) पब्लिक	306	86.86
गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां	**30**	**0.02**
जिसमें से		
(क) प्राइवेट	28	0.02
(ख) पब्लिक	2	0.0
कुल योग	**7,031**	**1,268.71**

ग. मार्च, 2015 के दौरान शेयरों द्वारा सीमित कंपनियों की श्रेणी के अंतर्गत महाराष्ट्र में अधिकतम पंजीकरण (1300) हुए, जिसके बाद दिल्ली (1241) और उत्तर प्रदेश (609) थे। नई पंजीकृत कंपनियों का आर्थिक कार्यकलाप वर्गीकरण में ''व्यापार सेवाएं'' (3182) था।

घ. मार्च, 2015 के दौरान पांच राज्य स्तर के लोक उद्यम पंजीकृत किए गए इन कंपनयों की कुल प्राधिकृत पूजीं 7.2 करोड़ रुपए थी। कारपोरेट क्षेत्र के विकास से संबंधित अन्य साख्यिकी ब्यौरों के लिए पाठकगण यूआरएल mca.gov.in/MinistryV2/InformationBulletin.html पर कारपोरेट क्षेत्र संबंधी मासिक सूचना बुलेटिन देख सकते हैं।

महत्वपूर्ण कार्यक्रम :

1. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की बोर्ड बैठक दिनांक 22.3.2015 को नई दिल्ली में हुई। चर्चा के लिए कार्यसूची में प्रारूप सेबी (नगरपालिका द्वारा ऋण प्रतिभूति जारी करने और सूचीकरण) नियमन, 2015, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण का इक्विटी में परिवर्तन, स्थानीय निधि प्रबंधकों द्वारा विदेशों में संचित धनराशि के प्रबंधन/परामर्श के लिए सेबी (म्युचुअल फंड) नियमन, 1996 में संशोधन आदि शामिल थे। इस बैठक की अध्यक्षता माननीय वित्त, कारपोरेट कार्य और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अरूण जेटली ने की। इस बैठक में सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने भाग लिया।
2. लोक शिकायतों का समाधान करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा दिनांक 25.3.2015 को 'प्रगति' नामक ''प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्पलिमेंटेशन'' नामक एक नया वेब एकीकृत और संपर्क पोर्टल का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर आयोजित विडियों कांफ्रेंसिंग में सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने भाग लिया।
3. मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने अनुदान मांगों 2015-16 पर मौखिक साक्ष्य देने के लिए 31.3.2015 संसदीय सौंध में आयोजित वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक में भाग लिया।
4. भारतयी कारपोरेट कार्य संस्थान ने 11.3.2015 को सीकायनेटिक्स कंसलटिंग सर्विसेज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन में दोनों संगठनों ने पानी और अपशिष्ट संबंधी संयुक्त कार्यशालाओं, सेमीनारों और अध्ययन कार्यक्रम चलाने के लिए सहमति दी। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अपशिष्ट एवं जल क्षेत्रों में कारपोरेट के लिए सीएसआर/सुस्थिर विकास परियोजनाएँ तैयार करना और मामला अध्ययन के साथ एक सार संग्रह तैयार करना है।
5. भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान ने नई दिल्ली में 'डूइंग सीएसआर इन इंडिया' शीर्षक पर 26.3.2015 को कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी अतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय और वैश्विक संदर्भ में जानकारी बढ़ाना और भारत में सामाजिक विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक के रूप में बेहतर व्यवहार पर विचार विमर्श करना था।
6. भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान द्वारा नई दिल्ली में 3.3.2015 को 'हाइटेक इंड्सट्रीज एंड एंटीट्रस्ट एनलिसिज' पर एक वार्ता का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विभिन्न कानूनी फर्मों के सहभागियों, राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरणों के 49 अधिकारियों और कंपनियों के कानूनी परमर्शदाताओं एवं आईआईसीए के अधिकारियों ने भाग लिया।
7. 11 से 14 मार्च, 2015 के दौरान गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय के अधिकारियों के लिए वित्तीय विवरण के विश्लेषण पर एक चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वित्तीय विवरण के विश्लेषण जैसे कारपोरेट लेखाकरण-संशोधित अनुसूची-VI; लेखांकन सॉफ्टवेयर-टैली; एमसीए21; लेखांकन मानक एवं लेखापरीक्षा और आश्वासन मानक; फंड फ्लो एवं कैश फ्लो विवरण; वित्तीय विवरण धोखाधड़ी जांच; फोरेंसिक जांच; तर्क विश्लेषण; डाटा विश्लेषण के लिए एमएस एक्सेल का उपयोग; जांच अभिलेख रख-रखाव और डिजिटल फोरेंसिक जांच आदि पर बल दिया गया।

Compiled and Published by: Research and Analysis Division, B-1 Wing, Second Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003.
For further details on the contents of this Newsletter, Please visit website: www.mca.gov.in

Design | Print | chandupress@gmail.com